कार्यालय आदेश

जिला योजना वर्ष 2011–12 की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति विषयक शासनदेश सख्या 624/जि0यो0/रा0यो0आ0/मु0स0/2008 दिनांक 24–3–2008 एवं शासनादेश संख्या 205/XXVII(1)/2009 दिनांक 25–3–2009 मे निहित प्राविधानों के अन्तर्गत उप सचिव,उत्तराखण्ड शासन चिकित्सा अनुभाग–5 के शासनादेश सख्या–654(1)/XXVIII–5–2011–51/2009 दिनांक 25–4–2011 एवं शासनादेश संख्या 966(1)/ XXVIII–5–2011–51/2009 दिनांक 4.7.2011 के द्वारा अनुदान संख्या– 12एवं 30 के अर्न्तगत सलग्नक के अनुसार अवमुक्त धनराशि रूप्या 146.54 लाख(एक करोड छियालीसलाख चौवन हजार मात्र)के सापेक्ष धन0 136.54 (एक करोड छतीय लाख चौवन हजार मात्र)की वित्तीय एंव प्रशासनिक स्वीकृति निम्न शर्तो एंव प्रतिबन्धों के सांथ संलग्नक के अनुसार प्रदान की जाती है।

1– स्वीकृत की जा रही धनराशि का ब्यय जिला नियोजन एंव अनुश्रवण समिति द्वारा अनुमोदित परिब्यय के अन्तर्गत स्वीकृत की जा रहा है। अनुमोदित परिब्यय की सीमा से अधिक ब्यय कदापि न किया जाय।

2– ब्यय करते समय वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर आदेशों/निर्देशों तथा बजट मैनुअल के सुसंगत नियमों का पालन किया जायेगा।

3– स्वीकृत धनराशि का आवश्यकतानुसार समय–समय पर आहरित कर ब्यय किया जायेगा।

4– स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31–3–2012 तक पूर्ण उपयोग करके इसकी वित्तीय/भौतिक प्रगति एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रस्तुत किये जाये।

5– उक्त धनराशि का आहरण मुख्य चिकित्सा अधिकारी के हस्ताक्षरयुक्त तथा जिला अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षरित बिल सम्बन्धित जनपद के कोषागार में प्रस्तुत करके वास्तविक आवश्यकतानुसार किश्तों में पूर्व स्वीकृत धनराशि में 80 प्रतिशत उपयोग के उपरान्त किया जायेगा।

6– कार्य की समयबद्वता एंव गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित अधिकारी/अभियन्ता पूर्णरूपेण उत्तरदायी होंगे।

7– सेंटेज आदि पर व्यय वर्तमान में प्रभावी शासनादेश के अनुरूप ही किया जाये।

8– स्वीकृत धनराशि ऐसी योजना पर कदपी ब्यय न की जाय जिसके सम्बन्ध में तकनीकी स्वीकृति नहीं है अथवा जो विवाद ग्रस्त हों।

9– व्यय करने से पुर्व जिन मामलो में बजट मैनुअल फाईनेन्शियल हैण्डबुक तथा अन्य स्थायी आदेशो के अर्न्तगत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यक हो उसमें व्यय करने से पूर्व आगणनों/पुनरीक्षित आगणनों पर सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये एवं तकनीकी स्वीकृति जिला अधिकारी को अवलोकित करा दी जाये।

10– धनराशि का आहरण तकनीकी स्वीकृति के उपरान्त ही किया किया जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या– 205/XXVII(1) 2009 दिनांक– 25–मार्च 2008 के प्रस्तर 10 में ईगिंत निर्देशानुसार निर्गत किये जा रहे है।

संलग्न– यथोक्त।

(सी0एस0 नपलच्याल)
जिला अधिकारी
बागेश्वर

शासनादेश संख्या–654(1)/XXVIII–5–2011–51/2009 दिनांक– 25–4–2011 एवं *शासनादेश संख्या 966(1)/ XXVIII–5–2011–51/2009 दिनांक 04.7.2011 के अन्तर्गत* उप सचिव सचिव, उत्तराखण्ड शासन द्वारा जिला अधिकारी बागेश्वर के निर्वतन में अवमुक्त धनराशि की वित्तीय एंव प्रशासनिक स्वीकृति ।

क. स.	योजना का नाम	आय ब्ययक 11–12के अन्तर्गत लेखा शीर्षक	शासन से अवमुक्त कुल धनराशि	वित्तीय एवं प्रशासनि स्वीकृति हेतु धनराशि(धनराशि लाख में)
9–	रा0ऐलो0 चिकितसालय निर्माण चालू कार्य 1–राजकीयएलौपैथिक चिकित्सालय घौनाई 2–रा.एलौ.चि.उधमस्थल 3–रा.एलौ.चि. खाती भवन निर्माण एवं भुमि कय	अनुदान संख्या–12 लेखा शीर्षक 4210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिब्यय। 02 ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें। 110 अस्पताल तथा औषधालय। 91 जिला योजना। 9101 रा0 ऐलो0 चिकि0 के भवन का निर्माण। 24 बृहत निर्माण।	65.80	20.29 3.40 42.11
10	प्रा0स्वा0के0 का भवन निर्माण चालू कार्य 1. प्रा0स्वा0केन्द्र पालडीछीना 2– प्रा0स्व0केन्द्र पोथिंग	अनुदान संख्या–12 लेखा शीर्षक 4210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य आयोजनागत। 02 ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें। 103 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र। 91 जिला योजना। 9102 नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रो के भवनो का निर्माण कार्य। 24– बृहत निर्माण कार्य	47.42	13.71 23.71
11	प्रा0स्वा0के0 का भवन निर्माण चालू अंश प्रा.स्व.केन्द्र जखेडा	अनुदान संख्या–30 लेखा शीर्षक 4210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य आयोजनागत। 02 ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें। 103 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र। 91 जिला योजना। 9101 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रो के भवनो का निर्माण 24– बृहत निर्माण कार्य	33.32	33.32
		योंग–	146.54	136.54

(सी0एस0 नपलच्याल)
जिला अधिकारी
बागेश्वर